

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/नि0सं0-32/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

डा0 सुधीर पाण्डेय, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना द्वारा अपने ईलाज के निमित्त दिनांक 15.06.2025 से 08.07.2025 तक उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 में वर्णित प्रावधान एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1500(25), दिनांक-21.07.2026 के आलोक में कुल-48 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले 24 दिनों का रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

02. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक .

829(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

16/9/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/संबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-996(25), दिनांक-11.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 सुधीर पाण्डेय, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय प्रशाखा-2, 9, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

Wfmrk 15/9/26
सरकार के उप सचिव